आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/2/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 132/2012** **चन्देश्वर सिंह बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 24255/2013 चन्देश्वर सिंह बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 6.2.2014 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 3410 दिनांक 15.10.2012 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता चन्देश्वर सिंह के विरूद्व परिवाद पत्र प्राप्त हुआ था। जिसमें परिवादी अजय सिंह, ग्राम–सगुनी राजवारा ने विक्रेता के विरूद्व शिकायत दर्ज कराया था कि एक माह का राशन/किरासन का वितरण कर दो माह का कूपन जबरदस्ती फाड़ना, अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों को मात्र 28 किलोग्राम राशन देना एवं पजी में 35 किलोग्राम अंकित करना, बी0पी0एल0 योजना के लाभार्थियों को मात्र 18 किलोग्राम राशन देना एवं पजी में 25 किलोग्राम अंकित करना, किरासन तेल का वितरण दो लीटर करना एवं पजी पर 2.750 (पौने तीन) लीटर किरासन तेल अंकित करना, राशन/किरासन तेल का दर ज्यादा लेना, कम वजन वाला लीटर से मिट्टी तेल देना, उपभोक्ताओं को धमकी देना तथा पूर्व में जुर्माना होने के बावजूद भी मनमानी करना। द्वितीय परिवादी जयनारायण सिंह, ग्राम–सगुनी राजवारा, अरदेवा, प्रखंड–तरैया ने विक्रेता के विरूद्व शिकायत दर्ज कराया था कि विक्रेता द्वारा किरासन तेल का वितरण 2.750 (पौने तीन) लीटर के बदले 2.500 (ढाई) लीटर किरासन तेल देना, गेहूँ 10 किलो और चावल 15 किलो के बदले दोनों मिलाकर 20 किलो देना तथा पंजी में 25 किलो संधारित	

करना, माप–तौल सही नहीं रखना, शिकायत करने पर डॉट–फटकार कर भगा देना तथा अपशब्द भाषा का प्रयोग करना तथा मृत व्यक्ति के नाम पर राशन/किरासन तेल का वितरण करना।

उपर्युक्त वर्णित शिकायत के आलोक में विक्रेता से कारणपृच्छा की गयी थी। विक्रेता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा की जाँच प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, तरैया से करायी गयी। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, तरैया द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उपभोक्ताओं के बयान से स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेकर निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन/किरासन की आपूर्त्ति की जाती थी।

उक्त के आलोक में विक्रेता से द्वितीय कारणपृच्छा की माँग की गयी थी। विक्रेता द्वारा कारणपृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें परिवादी द्वारा अपने कारण पृच्छा के साथ शपथ पूर्वक बयान दिया था कि घरेलू विवाद के कारण परिवाद पत्र दिया गया था। साथ ही अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि पंचायत आम चुनाव 2011 में ग्रामीण राजनीतिक भावना तथा पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर एवं साजिश के तहत बयान दिया गया है कि विक्रेता के द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेकर निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन/किरासन की आपूर्त्ति की जाती है, जो गलत है। विक्रेता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया। साथ ही बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन तथा जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि अपीलार्थी प्रत्येक माह बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय के खाद्यान्न का उठाव करके सभी उपभोक्ताओं के बीच उचित मूल्य पर वितरण करता था। अपीलार्थी द्वारा संबंद्ध उपभोक्ताओं को प्रतिमाह उचित दर पर बी.पी.एल. का अनाज 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ एवं अन्त्योदय खाद्यान्न का 21 किलो चावल एवं 14 किलो गेहूँ का वितरण किया जाता था, जो संबंधित उपभोक्ताओं का बयान संलग्न है। अपीलार्थी अपने संबंधित उपभोक्ताओं को प्रतिमाह पौने तीन लीटर किरासन तेल उचित दर पर कूपन प्राप्त कर वितरण करता था, साक्ष्य के रूप में उपभोक्ताओं का लिखित बयान संलग्न है। यह भी बतलाया कि शिकायतकर्त्ता अजय सिंह अपीलार्थी के खास पट्टीदार है एवं केवल किरासन तेल का उपभोक्ता है।

यह भी बतलाया कि शिकायतकर्त्ता जयनारायण सिंह को चार कार्ड है, जो केवल किरासन तेल का है, जिसमें दो कार्ड पर किरासन तेल अपीलार्थी के दुकान से उठाव नहीं करते थे, क्योंकि वे छपरा में रहते थे। दो अन्य कार्ड दिनेश सिंह एवं पवन सिंह जो दिल्ली में रहते थे, के नाम पर मुरारी प्रसाद सिन्हा, जन वितरण विक्रेता के यहाँ राशन/किरासन तेल का उठाव करते थे। यह भी बतलाया कि पंचायत आम चुनाव 2011 में शिकायतकर्त्ता जयनारायण सिंह की पत्नी मुखिया प्रत्याशी थी, जिनका पक्ष अपीलार्थी नहीं कर रहे थे, इसलिए दुर्भावना एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलार्थी के खिलाफ गलत बयानबाजी एवं अपीलार्थी के विरूद्व आवेदन देते रहते थे। अपीलार्थी कभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया है। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अनुरोध किया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, तरैया के जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा अनियमितता बरती गयी है। साथ ही जॉच प्रतिवेदन के साथ संलग्न गवाहों के बयान से भी प्रमाणित होता है कि विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर तथा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा पर खाद्यानों की आपूर्त्ति की जाती थी। अतः विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख का परिसीलन किया। अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा ने अनिमितताओं के आलोक में अपीलार्थी से कारणपृच्छा की माँग की थी। अपीलार्थी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा की जाँच प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, तरैया से करायी गयी थी। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, तरैया के पत्रांक 175 दिनांक 20.9.2011 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संलग्न उपभोक्ताओं यथा–शांति देवी, पति–रामचन्द्र राय, शिवचन्द्र राय, पिता–लक्ष्मण राय, रामबाबू सिंह, पिता–स्व0 तेजनारायण सिंह, दिलीप राय, पिता–नागेश्वर राय, सिपाही ठाकुर, शत्रुध्न ठाकुर, पिता–शिव परसन ठाकुर एवं उषा कुंवर, पति–स्व0 प्रमोद कुमार के बयान से स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेकर निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन/किरासन की आपूर्त्ति की जाती थी।

विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किए जाने से स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा अनियमितता बरती गयी है। अपीलार्थी के कारणपृच्छा से उनके उपर लगाए गए आरोप का खंडन नहीं होता है। विक्रेता अपने

बचाव में कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा।

यह भी मैं पाता हूँ कि जयनारायण सिंह, ग्राम-सगुनी राजवारा, प्रखंड तरैया के परिवाद पत्र पर अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 318/गो0 दिनांक 14.2.12 द्वारा कारणपृच्छा की माँग की गयी थी, किन्तु अपीलार्थी द्वारा कारणपृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया। कारणपृच्छा समर्पित नहीं किए जाने से प्रमाणित होता है कि विक्रेता को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है, अर्थात् आरोप स्वतः प्रमाणित है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को बहाल रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 623 दिनांक 03/05/2014

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
3/5/14 सारण, छपरा।